LAYOUT PLAN OF SHREE GOVIND VILLA
VILLAGE :- PEEPLA BHARATSINGH TEHSIL SANGANER,JAIPUR

SCALE:-1CM=4M

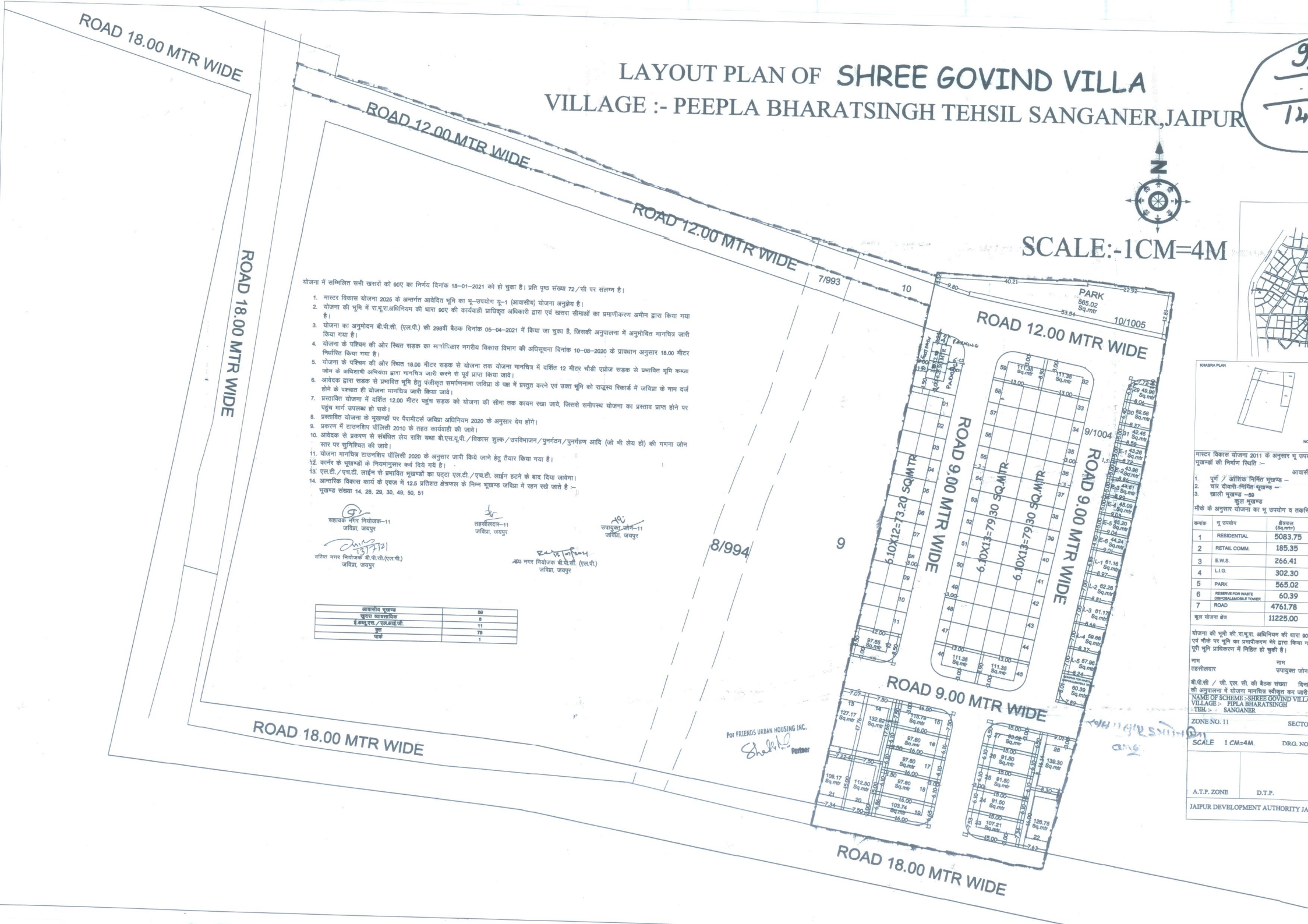

योजना में सम्मिलित सभी खसरों को 90ए का निर्णय दिनांक 18–01–2021 को हो चुका है। प्रति पृष्ठ संख्या 72/सी पर संलग्न है।

1. मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत आवेदित भूमि का भू–उपयोग यू–1 (आवासीय) योजना अनुज्ञेय है।
2. योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं खसरा सीमाओं का प्रमाणीकरण अमीन द्वारा किया गया है।
3. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 298वीं बैठक दिनांक 05–04–2021 में किया जा चुका है, जिसकी अनुपालना में अनुमोदित मानचित्र जारी किया गया है।
4. योजना के पश्चिम की ओर स्थित सड़क का प्राधिकार नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 10–08–2020 के प्रावधान अनुसार 18.00 मीटर निर्धारित किया गया है।
5. योजना के पश्चिम की ओर स्थित 18.00 मीटर सड़क से योजना तक योजना मानचित्र में दर्शित 12 मीटर चौडी एप्रोच सड़क से प्रभावित भूमि कब्जा जोन के अधिशाषी अभियंता द्वारा मानचित्र जारी करने से पूर्व प्राप्त किया जावे।
6. आवेदक द्वारा सडक से प्रभावित भूमि हेतु पंजीकृत समर्पणनामा जविप्रा के पक्ष में प्रस्तुत करने एवं उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में जविप्रा के नाम दर्ज होने के पश्चात ही योजना मानचित्र जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित योजना में दर्शित 12.00 मीटर पहुंच सड़क को योजना की सीमा तक कायम रखा जावे, जिससे समीपस्थ योजना का प्रस्ताव प्राप्त होने पर पहुंच मार्ग उपलब्ध हो सके।
8. प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स जविप्रा अधिनियम 2020 के अनुसार देय होंगे।
9. प्रकरण में टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत कार्यवाही की जावे।
10. आवेदक से प्रकरण से संबंधित लेय राशि यथा बी.एस.यू.पी./विकास शुल्क/उपविभाजन/पुनर्गठन/पुनर्गठण आदि (जो भी लेय हो) की गणना जोन स्तर पर सुनिश्चित की जावे।
11. योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2020 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
12. कार्नर के भूखण्डों के नियमानुसार कर्व दिये गये है।
13. एल.टी./एच.टी. लाईन से प्रभावित भूखण्डों का पट्टा एल.टी./एच.टी. लाईन हटने के बाद दिया जावेगा।
14. आन्तरिक विकास कार्य के एवज में 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखण्ड जविप्रा में रहन रखे जाते है :–
    भूखण्ड संख्या 14, 28, 29, 30, 49, 50, 51

सहायक नगर नियोजक–11
जविप्रा, जयपुर

तहसीलदार–11
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक बी.पी.सी.(एल.पी.)
जविप्रा, जयपुर

मुख्य नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.)
जविप्रा, जयपुर

आवासीय भूखण्ड	59
चुंगरा व्यावसायिक	8
ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी.	11
कुल	78
पार्क	1

KHASRA PLAN

मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भू उपय
भूखण्डों की निर्माण स्थिति :– आवासी

1. पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड –
2. चार दीवारी निर्मित भूखण्ड –
3. खाली भूखण्ड –59

कुल भूखण्ड

मौके के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनि

क्रमांक	भू उपयोग	क्षेत्रफल (Sq.mtr)
1	RESIDENTIAL	5083.75
2	RETAIL COMM.	185.35
3	E.W.S.	266.41
4	L.I.G.	302.30
5	PARK	565.02
6	RESERVE FOR WASTE DISPOSAL&MOBILE TOWER	60.39
7	ROAD	4761.78
कुल योजना क्षेत्र		11225.00

योजना की भूमि की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90
एवं मौके पर भूमि का प्रमाणीकरण मेरे द्वारा किया ग
पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम
तहसीलदार

नाम
उपायुक्त जोन

बी.पी.सी / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिना
की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी

NAME OF SCHEME :-SHREE GOVIND VILL
VILLAGE :- PIPLA BHARATSINGH
TEH. :- SANGANER

ZONE NO. 11 SECTO

SCALE 1 CM=4M. DRG. NO

A.T.P. ZONE D.T.P.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JA